E-mail :- rgkamp14@gmail.com

संचालनालय, खेल और युवा कल्याण म.प्र.
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल

क्रमांक /9919/ खे.एमपी.यू.गेम्स / 2026 भोपाल, दिनांक 06/01/2026

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, म.प्र.
3. समस्त जिला/संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी, म.प्र.।

विषय :– "खेलो एमपी यूथ गेम्स" के आयोजन की मार्गदर्शिका के संबंध में।

——00——

विषयान्तर्गत लेख हैं कि **"खेलो एमपी यूथ गेम्स"** का आयोजन 28 खेलों में जूनियर आयु वर्ग में खेलों की लोकप्रियता व संबंधित खेल में प्रतिवर्ष होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को दृष्टिगत रखते हुये विकासखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर अथवा विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर अथवा सीधे राज्य स्तर पर **दिनांक 12 से 31 जनवरी 2026 तक** किया जाना प्रस्तावित हैं।

2/ खेल प्रतियोगिता का आयोजन संबंधित खेल के राष्ट्रीय खेल महासंघों के निर्धारित मापदण्ड़ों/नियमो के तहत बालक व बालिका वर्ग में किया जावेगा, इस संदर्भ में संबंधित खेल संघों से प्राप्त दिशा–निर्देश अनुसार विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की गई हैं, जो संलग्न हैं **(परिशिष्ट–01)**। किसी खेल की विधा, आयु वर्ग अथवा खिलाडियों की संख्या आदि में संबंधित खेलों के जीटीसीसी सदस्यों द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता हैं तो उक्त जानकारी से यथा समय अवगत कराया जावेगा।

3/ **"खेलो एमपी यूथ गेम्स"** के आयोजन की प्रारंभिक तैयारियों हेतु संलग्न मार्गदर्शिका अनुसार आयोजन का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार भी किया जाना हैं तथा संबंधित खेल के राज्य/जिला स्तरीय एसोसिएशन के समन्वय से आयोजन संपादित किया जाना है।

4/ **"खेलो एमपी यूथ गेम्स"** में प्रतिभागिता करने हेतु खिलाडियों का विकासखण्ड स्तर पर संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र **(परिशिष्ट–02)** में पंजीयन करना होगा। यह कार्य संबंधित ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा संचालनालय द्वारा पृथक से प्रदान की जाने वाली **ऑन–लाईन लिंक** पर किया जावेगा।

5/ खिलाडी को पोर्टल पर पंजीयन में यदि कोई परेशानी आती हैं तो उसका समाधान संबंधित ग्रामीण युवा समन्वयक द्वारा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी के सहयोग से किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

6/ विकासखण्ड अथवा जिला स्तर पर ग्रामीण युवा समन्वयक अथवा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ऑफ–लाईन आवेदन भी प्राप्त कर सकेगें, किन्तु ऑफ–लाईन प्राप्त आवेदन के आधार पर ऑन–लाईन पंजीयन करने का दायित्व संबंधित विकासखण्ड के ग्रामीण युवा समन्वयक अथवा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी का रहेगा।

7/ खिलाडी संबंधित खेल के लिये निर्धारित आयु सीमा में आता हैं, इसके सत्यापन हेतु खिलाडी को पार्टल पर जन्मतिथि के लिये 10वीं की अंकसूची अथवा पासपोर्ट अथवा अन्य प्रमाण–पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी, जिसकी पुष्टि संबंधित विकासखण्ड के ग्रामीण युवा समन्वयक अथवा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा की जाना अनिवार्य होगा। साथ ही खिलाडी का मध्यप्रदेश के निवास का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी पुष्टि भी संबंधित विकासखण्ड के ग्रामीण युवा समन्वयक अथवा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा की जाना अनिवार्य होगा।

8/ राज्य स्तर पर सीधे खेले जाने वाले खेलों के खिलाडियों का पंजीयन भी विकासखण्ड स्तर पर ही किया जावेगा, इस हेतु पूर्व से संबंधित खेल में पंजीबद्व खिलाडियों की सूची संचालनालय द्वारा संबंधित खेल के राज्य स्तरीय खेल संघों से प्राप्त कर पोर्टल पर पृथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

9/ राज्य स्तर पर प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ी जो संबंधित खेल के पंजीबद्व खिलाड़ी नहीं हैं, उनका पंजीयन कराने के पश्चात् खिलाडी को संबंधित खेल की जानकारी हैं, इसकी पुष्टि जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर करने के उपरांत ही राज्य स्तर के लिये अग्रेषित किया जावेगा

उदाहरणार्थ क्याकिंग–कैनोईग के खिलाडी किस विधा में, किस स्थान पर, कितने समय से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हैं तथा खिलाड़ी को खेल से संबंधित सुरक्षा नियम एवं मापदण्ड की जानकारी हैं या नहीं, की पुष्टि उपरांत आगामी प्रतियोगिता हेतु अग्रेषित किया जावे। पंजीयन हेतु खिलाडी को अपने साथ अपडेट किया हुआ वर्ततान की फोटोयुक्त आधार कार्ड आदि अन्य दस्तावेज लाना होगा।

10/ खेल और युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश का यह प्रयास हैं की **''खेलो एमपी यूथ गेम्स''** में चिन्हित खेलों में अधिकाधिक प्रतिभागिता हो इस हेतु संबंधित खेल की राज्य स्तरीय एसोसियेशन से संबद्व जिला स्तरीय ईकाई के माध्यम से प्रतिभागिता के साथ जिन जिलों में संबंधित खेल की ईकाई एवं सुविधा उपलब्ध नहीं हैं के खिलाड़ी नजदीकी जिले में प्रतिभागिता कर सकेगें, इस हेतु संलग्न मार्गदर्शिका **(परिशिष्ट–01)** में कौन से खेल में कौन से जिले के खिलाडी किस–किस

Scanned with CamScanner

जिले में प्रतिभागिता कर सकेगें उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया हैं। संबंधित खेल के राज्य स्तरीय खेल संघ से संबंद्व जिला स्तरीय ईकाई के अलावा अन्य जिले का खिलाड़ी यदि नजदीकी जिले के दल का सदस्य/खिलाडी के रूप में चयनित किया जाता हैं तो उसके आगामी स्तर की प्रतिभागिता (संभाग/राज्य स्तर) पर प्रतिभागिता का दायित्व संबंधित जिले के जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी का रहेगा।

11/ विभिन्न स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन के दौरान अथवा निर्णय के संदर्भ में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होता हैं तो इसका निर्णय संबंधित खेल हेतु निर्धारित नियम व समय–सीमा में संबंधित खेल हेतु गठित सक्षम समिति द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

12/ **"खेलो एमपी यूथ गेम्स"** अन्तर्गत **11 खेल 03 स्तर** (विकासखण्ड, जिला व राज्य), **10 खेल 04 स्तर** (विकासखण्ड, जिला, संभाग व राज्य) तथा **07 खेल** सीधे राज्य स्तर पर आयोजित होगे, जानकारी संलग्न हैं।

13/ **खेलो एमपी यूथ गेम्स में प्रतिभागिता करने वाले समस्त खिलाडियों का विकासखण्ड स्तर पर पंजीयन अनिवार्य हैं। विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर खेल स्पर्धा का आयोजन व आगामी स्तर के लिये चयन प्रक्रिया आदि हेतु खेलवार दिशा–निर्देश का स्पष्ट उल्लेख संलग्न मार्गदर्शिका (परिशिष्ट–01) में किया गया हैं।**

14/ विकासखण्ड स्तर पर पंजीबद्व खिलाडी जिला स्तर पर प्रतिभागिता करेगें तथा जिला स्तर पर चयनित खिलाडी/दल को संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी संभाग/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिये अग्रेसित करेगे, इसी प्रकार संभाग स्तर पर चयनित खिलाडी/दल को संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिये अग्रेषित करेगें।

15/ ऐसे व्यक्तिग खेल जिनकी व्यक्तिगत विधा के साथ–साथ डब्बल्स, मिक्स डब्बल्स, रिले (एथलेटिक्स) आदि विधाओं में भी प्रतियोगिता होती हैं ऐसी स्थिति में खिलाडी द्वारा उपरोक्त विधाओं में प्रतिभागिता करने हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। खिलाडी के पंजीयन के आधर पर संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा खिलाडी का संबंधित विधा में प्रतिभागिता हेतु दल/समूह के लिये चयन किया जावेगा।

उदाहरणार्थ एथलेटिक्स खेल की 4X400मी. रिले में पंजीयन करने वाले खिलाडियों का 4X400मी. रिले के लिये चयन संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया

Scanned with CamScanner

जावेगा। इसी प्रकार की प्रक्रिया अन्य खेल व उनकी विधा के लिये भी आवश्यकतानुसार लागू होगी।

16/ विकासखण्ड, जिला व संभाग स्तर पर खेल प्रतियोगिता के सफलतापूर्वक व पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजन हेतु संबंधित खेल संघो के साथ समन्वय करने हेतु विभिन्न स्तरीय समितियों के गठन हेतु संचालनालय के पत्र क्र. 638, दिनांक 02.01.2026 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

17/ विभिन्न खेलों के टूर्नामेन्ट डायरेक्ट, जी.टी.सी.सी. मेम्बर के नाम व मोबाईल नम्बर आदि की जानकारी (परिशिष्ट–03) पर संलग्न हैं। राज्य स्तरीय एसोसियेशन से संबंधित जिला स्तरीय ईकाईयों तथा उसके अध्यक्ष व सचिव की जानकारी संकलित कर शीघ्र प्रेषित की जायेगी।

18/ राज्य स्तर पर दलीय एवं व्यक्तिगत खेल के बालक एवं बालिका खिलाडियो को पृथक–पृथक प्रथम पुरूस्कार रू 31,000/– द्वितीय पुरूस्कार रू. 21,000/–, तृतीय पुरूस्कार रू. 11,000/–, चतुर्थ पुरूस्कार रू. 7,000/– से पुरूस्कृत किया जावेगा, जिन खेलों में 2 खिलाडी को 2–कास्य पदक (2–तृतीय स्थान) प्रदान करने की परम्परा हैं उन खेलों में दोनों खिलाडियों/दल के खिलाडियों को तृतीय पुरस्कार की राशि रू. 11,000/– प्रति खिलाडी प्रदान की जावेगी, शेष सभी खेल के खिलाडी/दल के प्रत्येक खिलाडी को चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर राशि रू. 7,000/– प्रति खिलाडी प्रदान की जावेगी। डब्बलस व मिक्स डब्बलस विधा में पदक विजेता खिलाडी को प्राप्त राशि समान अनुपात में बांटकर वितरित की जावेगी।

19/ "खेलो एमपी यूथ गेम्स" को अधिक आकर्षक एवं प्रभावी बनाने के उद्‌देश्य से संभागवार पदक तालिका बनायी जावेगी। वरीयता निर्धारण का ऑकलन स्वर्ण पदक रहेगा। प्रथम 03 स्थान प्राप्त करने वाले संभाग व उनके अधिकारियों को पुरस्कृत किया जावेगा।

20/ **"खेलों एमपी यूथ गेम्स"** में 21 खेलों की विकासखण्ड स्तरीय स्पर्धा हेतु प्रत्येक विकासखण्ड के लिये राशि रू. 15,000/– के मान से 313 विकासखण्ड को राशि आवंटित की जावेगी। यह राशि विकासखण्ड स्तरीय प्रतियोगिता तथा खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने के लिये व्यय की जायेगी।

21/ 21 खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रति खेल के लिये राशि रू. 18,000/– के मान से तथा जिले के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्ड हेतु प्रति विकासखण्ड राशि रू. 7,000/– के मान से जिलों को आवंटित की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोग खेल प्रतियोगिता का आयोजन, खिलाड़ियों कों संभाग/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागिता,

Scanned with CamScanner

तकनीकी एवं चयन समीतियों के मानदेय, खेल किट, अस्थाई खेल सामग्री, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, उद्घाटन एवं समापन समारोह आदि के लिये व्यय की जायेगी।

22/ जिला स्तर पर किसी खेल की प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जाती हैं तो उस खेल की राशि संचालनालय को समर्पित करनी होगी। सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जावें। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त राशि का आवंटन प्रदान नहीं किया जावेगा।

23/ संभाग स्तरीय आयोजन हेतु राशि का आवंटन पृथक से प्रदान किया जावेगा।

24/ विकासखण्ड स्तरीय चयन स्पर्धा – 12 से 16 जनवरी 2026 के मध्य, जिला स्तरीय आयोजन – 16 से 20 जनवरी 2026 के मध्य, संभाग स्तरीय आयोजन – 21 से 25 जनवरी 2026 के मध्य तथा राज्य स्तरीय आयोजन दिनांक 28 से 31 जनवरी तक किया जाना प्रस्तावित हैं। विकासखण्ड, जिला, संभाग स्तरीय आयोजन हेतु स्थान का चयन का निर्णय संबंधित जिला/संभागीय जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।

25/ विभागीय गतिविधियों एवं आयोजनों/कार्यक्रमों में माननीय मंत्री, मान. प्रभारी मंत्री, संबंधित क्षेत्र के मान. सांसद, मान. विधायक एवं जन प्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जावेगा।

26/ संचालनालय द्वारा प्रेषित डिजाईन अनुसार ही बेनर, पोस्टर, प्रचार–प्रसार आदि किया जावेगा।

27/ आयोजन स्थल पर आवश्यक साफ–सफाई प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस एवं स्वच्छ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाना आवश्यक होगा।

28/ विकासखण्ड, जिला व संभाग स्तरीय आयोजन को सफलतापूर्वक संपादित किये जाने हेतु जिला/संभाग स्तर पर आवश्यक संबंधित खेल संघों के पदाधिकारियों अवथा संबंधित समितियों की बैठक अनिवार्यतः की जावें।

29/ प्रतियोगिता संपन्न होने के 10 दिवस के अन्दर प्रतियोगिता का प्रतिवेदन, खिलाडियों की संख्या निर्धारित प्रपत्रों **(परिशिष्ट–04)** में पुष्टि उपरांत संचालनालय को अनिवार्यतः भेजी जावे। सभी स्तर की प्रतियोगिता की विडियों रिकार्डिंग एवं फोटो ग्रॉफ्स भी रखें जावेगें।

संचालनालय द्वारा आयोजन के संदर्भ में समय–समय पर समीक्षा बैठक भी आयोजित की जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संचालक
खेल और युवा कल्याण,म.प्र

पृ.क./1120/खे.यु.क./2026
भोपाल, दिनांक 06/01/2026

प्रतिलिपि :–

1/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय की ओर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

2/ निज सहायक, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर सूचनार्थ।
4/ अध्यक्ष/सचिव,म.प्र. ऑलंम्पिक संघ की ओर सूचनार्थ।
5/ आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6/ संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ।
7/ अध्यक्ष/सचिव, सर्व संबंधित खेल के राज्य स्तरीय एसोसिऐशन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8/ क्षेत्रीय निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र की ओर सूचनार्थ।

संचालक
खेल और युवा कल्याण,म.प्र

KMPYG

Scanned with CamScanner